



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 29.07.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ अवैध शराब की बिक्री करने वाले अभियुक्त को थाना मटौंध पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से 225 क्वार्टर देशी शराब व मोटरसाइकिल बरामद।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शराब की बिक्री व निष्कर्षण करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मटौंध पुलिस द्वारा अवैध शराब की बिक्री करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि थाना मटौंध पुलिस द्वारा गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मां चन्द्रिका देवी मंदिर के पास से एक अभियुक्त को अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 225 क्वार्टर अवैध देशी शराब व मोटरसाइकिल बरामद हुआ है।

बरामदगी-

- 225 क्वार्टर अवैध देशी शराब मस्तीह ब्राण्ड।
- 01 मोटरसाइकिल (परिवहन में प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अरविन्द पुत्र मैकू निवासी ग्राम हरदौनी थाना मटौंध जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 153/26 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मटौंध जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री प्रेमनारायण सिंह निरीक्षक अपराध थाना मटौंध
2. कां0 अच्छेलाल
3. कां0 खेमराज